भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2676

14 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को जमा और निवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाना

2676. प्रो.सौगत राय:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को जमा/निवेश से प्रतिबंधित करने संबंधी आरबीआई की नई अधिसूचना पर अपना विरोध दर्ज कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारिता मंत्रालय को कुछ सहकारी समितियों के द्वारा उनके नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करने तथा गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के समान है,संबंधीलोगोंकोसावधानकरने हेतुजारीप्रेस विज्ञप्ति पर किसी भी राज्य सरकार से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यद्पि, आरबीआई कोकेरल के सहकारी समितियोंकेरजिस्ट्रार से एकपत्र दिनांक 01.12.2021 तथासहकारिता और पंजीकरण मंत्री, केरल सरकार सेएक पत्र दिनांक 02.12.2021,चेतावनी नोटिस को वापस लेने केअनुरोध संबंधी प्राप्त हुआ है।

******